Title: Need to check the confiscated property of Rupees 200 crore under Delhi Wakf Board at Mehroli.

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, दिल्ली वक्फ़ बोर्ड का एक बहुत ही अहम मामला मैं उठाना चाहता हूं। दिल्ली वक्फ़ बोर्ड में महरौली के अंदर एक कनाती मस्जिद सोन बुर्जी खसरा नं. ११५१/३ (१६६५) दर्ज है जो कि ११ बीघे और १३ बिसवे गैज़ेटेड वक्फ़ है और यह वक्फ़ आला है जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल है और बहुत बड़ी इमारत शामिल है, लेकिन अफसोस है कि एक शख़्स जिसका नाम..।। है, उसने इस २०० करोड़ रुपये की जायदाद पर बहैसियत केयरटेकर कब्ज़ा कर रखा है। १९ मार्च, १९९३ को उसने वक्फ़ बोर्ड के सेक्रेटरी ।।... से मिलकर उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और आज भी उसी का कब्ज़ा है, जबकि इस वक्त जो वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस सिलसिले में उस नोटिफिकेशन को कैन्सॅल करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद इसमें सियासी हाथ है।..।।

उनका लेटर जो कि उन्होंने

... (व्यवधान)

Expunged as order by the Chair

सभापति महोदय : जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : वे इसको खाली नहीं होने दे रहे हैं। वह २०० करोड़ रुपये की जायदाद है। सरकार देखे

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, according to the practice if anything is to be alleged against anybody, he or she should be given notice. Since she has not been given any notice, her name should be deleted. That should be expunged.

MR. CHAIRMAN: That will be expunged.

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति जी, मैंने भी नोटिस दिया है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, हमारा भी नोटिस है।

सभापति महोदय : प्रभुनाथ जी, आप बैठिये। सबका नोटिस है। १ बजे तक जितना होगा, करेंगे। आप बैठिये।

... (व्यवधान)